झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–32 वर्ष 2020

शुभम कुमार .... याचिकाकर्त्ता(ओं)

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्त्ता(ओं) के लिए :– श्री ए0के0 कश्यप, वरीय अधिवक्ता।

श्री अभिलाष कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– ए0पी0पी0।

03 / 13.02.2020 पक्षों के अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 और 34 के तहत अपराध का आरोपी है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्त्ता, जो किशोर है, की जमानत के लिए प्रार्थना का नवीनीकरण किया गया है, इस आधार पर कि वह 16.11.2018 से हिरासत में है और 27.08.2019 को आरोप तय करने के बाद भी, एक भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है। वह आगे कहते हैं कि यह माना गया है कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने याचिकाकर्त्ता को हत्या करते देखा है।

विद्वान ए0पी0पी0 ने याचिकाकर्त्ता की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन पूर्वोक्त प्रस्तुतियों का विरोध नहीं किया है।

याचिकाकर्त्ता की हिरासत की अवधि, जो एक किशोर है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और कोई गवाह पेश नहीं किया गया है, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक हूँ। तद्नुसार, उपर्युक्त नामित याचिकाकर्त्ता को सरवान थाना काण्ड संख्या 135/2018 के संबंध में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, देवघर की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– (दस हजार रूपये) की जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के साथ कि जमानतदारों में से एक अपने करीबी रिश्तेदार होना चाहिए और साथ ही यह शर्त कि उसके पिता द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाएगा कि वह अपने बेटे को अपराधियों के साथ संबंध रखने नहीं देगा।

तद्नुसार, इस पुनरीक्षण याचिका को अनुज्ञात किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)